(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम 1998 का, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'क' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में प्रशासनिक सहायक 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक सहायक 'क'	759* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा संकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अरापत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-रुपये 1900	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अभ्यर्थियों के मामले में, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रारूप की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (2) अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की गति से टंकण मशीन पर टंकण की गति, या अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की गति से कम्प्यूटर पर टंकण की गति के लिए (10500 केडी पी एच/9000 केडीपीएच) प्रति मिनट 35 शब्द और प्रति मिनट 30 शब्द के अनुरूप प्रत्येक शब्द में के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर ।	आयु-- नहीं शैक्षिक योग्यता-- नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा 85% और प्रोन्नति द्वारा 15% (1) 10%, प्रोन्नत द्वारा ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से जो 1800 रु. ग्रेड वेतन में हो और जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर । (2) 5%, प्रोन्त द्वारा ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	**प्रोन्नति** : ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 10% जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की हो एवं श्रेणी वेतन 1800 रुपये के पद में 3 वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1.** परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयु-सीमा 50 वर्ष) **टिप्पण 2.** यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से कम ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं अधिक हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों के भरने में विचार होगा जिसमें पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाएगा जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं । (2) समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नत द्वारा पांच प्रतिशत, जिन्होंने 1800 रुपये ग्रेड वेतन के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य 3. किसी अन्य स्थापना/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[मिसिल संख्या डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासन/सी/पी/03/2188/डी (आर एंड डी)]

एस के देब, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd August, 2010

S.R.O. 39 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Assistant 'A'	759* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200–20200 + Grade Pay of Rs. 1900	Non-seleciton	Not applicable	Between 18 and 27 years. **Note 1.** (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2.** The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University: (ii) Typing at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter, or Typing at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Age—No Educational Qualificaiton–Yes	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Eighty five percent by direct recruitment and Fifteen percent by promotion (i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. (ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-	**Promotion:—** (i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent and had rendered 3 years regular service in the grade. **Note 1.**–The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes). **Note 2.**–If more of such employees that the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at the later examination. (ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation consisting of:— 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory—Chairman	Not Applicable

	(13)	
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
3.	An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	—Member

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03/2188/D (R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.